



## सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी / सहअनुबन्धियों बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी / सहअनुबन्धियों / बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अचल सम्पत्ति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मिलित होने हेतु आमन्त्रित हैं।

| क्र. सं. | ऋणी/सहअनुबन्धियों का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | बंधक सम्पत्ति का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मांग सूचना की तिथि एवं देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति                                                                    | न्यूनतम आरक्षित मूल्य/ धरोहर राशि एवं जमा करने की अंतिम तिथि              | नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान                                                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ऋणी फर्म मैसर्स क्राऊन क्राफ्ट्स म.नं. 157, निकट डॉ. अबसार अहमद, लाजपतनगर, मुरादाबाद (उ.प्र.), श्री जुबैर अहमद पुत्र श्री मौ. नसीर खानम.नं. 157, निकट डॉ. अबसार अहमद, लाजपतनगर, मुरादाबाद (उ.प्र.), (प्रोपराइटर), श्रीमती नाहिद पत्नी श्री फहमूद खान ग्राम ताजपुर माफी निकट मीना मस्जिद, मुरादाबाद (उ.प्र.) (गारंटर एवं बंधककर्ता), श्री अकील अहमद पुत्र श्री अमीर अहमद म.नं. 157, निकट डॉ. अबसार अहमद, लाजपतनगर, मुरादाबाद (उ.प्र.), (गारंटर)<br><b>शाखा-</b> मुरादाबाद<br>खाता नं.- 84148545616981 | सम्पत्ति स्थित है गाटा सं. 714, ताजपुर माफी, निकट मीना मस्जिद, जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) कुल क्षेत्रफल 70.00 वर्ग मी. (नामित श्रीमती नाहिद पत्नी श्री फहमूद खान) बही नं. 1, जिल्द नं. 13278, पृष्ठ सं. 249 से 266, क्रम सं. 2734, दिनांक 24.03.2017, सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्रथम, मुरादाबाद<br><b>चौहद्दी-</b> उत्तर- रास्ता 10 फिट चौड़ा, दक्षिण- आराजी अब्दुल मजीद, पूरब- आराजी इरशाद हुसैन उसके बाद सम्पत्ति नबी हुसैन अब नदीम, पश्चिम- आराजी अब्दुल मजीद अब इरफान। | 10.01.2022<br><br>रु. 15,19,457.50/-<br>दिनांक 31.12.2021 तक +<br>ब्याज व अन्य खर्चें<br><br>कब्जे की दिनांक<br>28.06.2022 | रु. 2090000<br><br>रु. 209000<br>दिनांक 28.10.2025<br><br>नीलामी से पूर्व | 28.10.2025<br><br>मंगलवार दोपहर 1.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उ.प्र. ग्रामीण बैंक कटघर शाखा मुरादाबाद |
| 2        | ऋणी श्री अकील अहमद पुत्र श्री अमीर अहमद, म.नं. 157, लाजपतनगर, निकट डॉ. अबसार, मुरादाबाद (उ.प्र.), श्री जुबैर अहमद पुत्र श्री मौहम्मद नसीर खान, लाजपतनगर, निकट डॉ. अबसार, मुरादाबाद (उ.प्र.) (गारंटर), श्रीमती नाहिद पत्नी श्री फहमूद खान, जामा मस्जिद, वारसी नगर, गली नं.-6, मुरादाबाद (उ.प्र.) (गारंटर एवं बंधककर्ता)<br><b>शाखा-</b> मुरादाबाद<br>खाता नं.- 84141A48355957                                                                                                                         | सम्पत्ति स्थित है गाटा सं. 714, ताजपुर माफी, निकट मीना मस्जिद, जिला मुरादाबाद (उ.प्र.) कुल क्षेत्रफल 70.00 वर्ग मी. (नामित श्रीमती नाहिद पत्नी श्री फहमूद खान) बही नं. 1, जिल्द नं. 13278, पृष्ठ सं. 249 से 266, क्रम सं. 2734, दिनांक 24.03.2017, सब रजिस्ट्रार ऑफिस प्रथम, मुरादाबाद<br><b>चौहद्दी-</b> उत्तर- रास्ता 10 फिट चौड़ा, दक्षिण- आराजी अब्दुल मजीद, पूरब- आराजी इरशाद हुसैन उसके बाद सम्पत्ति नबी हुसैन अब नदीम, पश्चिम- आराजी अब्दुल मजीद अब इरफान। | 01.06.2024<br><br>रु. 3,08,548.00/-<br>दिनांक 31.12.2024 तक +<br>ब्याज व अन्य खर्चें<br><br>कब्जे की दिनांक<br>07.11.2024  | रु. 2090000<br><br>रु. 209000<br>दिनांक 28.10.2025<br><br>नीलामी से पूर्व | 28.10.2025<br><br>मंगलवार दोपहर 1.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक उ.प्र. ग्रामीण बैंक कटघर शाखा मुरादाबाद |

सम्पत्ति का पूरा विवरण अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें :- 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के लिए ड्राफ्ट / पे - ऑर्डर / आरटीजीएस / एनईएफटी / नकद जमा के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र / आधार कार्ड / पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता को बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पत्तियों को "जैसा है जहां है, जो भी है" के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट / पे - ऑर्डर / आरटीजीएस / एनईएफटी / नकद सम्पत्ति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्कों आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पत्ति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पत्ति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहअनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक : 25.09.2025 स्थान : मुरादाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक